न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/3 दायरा दिनांक : 02.01.2023

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. कजोड़ी लाल आयु 56 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
2. मोहनलाल आयु 51 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
3. बीरबल आयु 49 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
4. बलराम आयु 46 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
5. लक्ष्मीबाई आयु 58 वर्ष, पुत्री छीतरलाल, पत्नी श्री जगन्नाथ, जाति धोबी, निवासी आटोन, तहसील अटरू हाल निवासी मुण्डेरी, तहसील झालावाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 6 की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.09.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 130/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां में वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र नन्दा, जाति धोबी, निवासी आटोन, तहसील अटरू के पुराने खसरा नं. 945 रकबा 8 बीघा जमीन दिनांक 14.06.1965 को एलोट हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4-9-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धातों के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता छीतर को दिनांक 14.06.1965 में एलोट हुई थी। आवंटन के बाद से ही रेस्पोडेंट/वादीगण के पिता उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं उसकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। पट्टा गैरखातेदारी जारी किया हुआ है। जिसके नये खसरा नं. 1409 रकबा 2.35 हेक्टर बनकर उसमें रेस्पोडेंट/वादीगण की स्वामित्व की आराजियात को सम्मिलित कर दिया है। खसरा नम्बर 945 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा खाल खद्दर व चारागाह भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। इसलिए उक्त खसरा नम्बर आवंटन लायक नहीं था सहवन से रेस्पोडेंट/वादीगण के पिता के नाम गलत आवंटन दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं थी और वर्तमान में भी उक्त विवादित भूमि खाल खद्दर व चारागाह है जबकि खाल खद्दर चारागाह भूमि केवल जानवरों के लिये कानूनन आरक्षित होती है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेंट/वादीगण खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/वादीगण के पक्ष में वाद निर्णीत करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1, 2 व 3 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर त्रुटि की है। रेस्पोडेंट/वादीगण के पिता उक्त विवादित आराजियात गैरखातेदारी में दर्ज थी जिसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए रेस्पोडेंट/वादीगण को उक्त विवादित आराजियात का हकत्याग गलत रूप से करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में रेस्पोडेंट/वादीगण क्रम 1 ता 4 के पक्ष में हकत्याग को स्वीकार कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन के पश्चात दखल नहीं दिया। सैटलमेंट से 10 वर्ष पूर्व ही एलोट (Allotte) की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त विवादित भूमि खाल खद्दर व चारागाह दर्ज है जबकि खाल खद्दर चारागाह भूमि केवल जानवरों के लिये कानूनन आरक्षित होती है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट ने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट के पिता के नाम वादग्रस्त आराजी का आवंटन हुआ था। उक्त विवादित भूमि सैटलमेंट ने खाल खद्दर व चारागाह दर्ज कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सही पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दखलनामा सलंग्न नहीं है अर्थात वक्त आवंटन आवंटी को दखल नहीं दिया जाना प्रकट होता है। विवादग्रस्त आराजी पर सन् 1965 से रेस्पोडेंट/वादीगण के निरन्तर कब्जे काश्त के बाबत कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदारी की शर्तों की पालना नहीं की गई जिससे रेस्पोडेंट/वादीगण को वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी नहीं मिली। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नक्शा ट्रेस सैटलमेंट से पूर्व एवं पश्चात का भी पेश नहीं किया गया। केवल मात्र 91 एल.आर. एक्ट की रिपोर्ट से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। 91 एल.आर.एक्ट की रिपोर्ट व्यक्ति को भूमि का अतिचारी प्रकट करती है लेकिन इसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जाना एवं अपील स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

अपीलांट्स

बनाम

1. कजोड़ी लाल आयु 56 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
2. मोहनलाल आयु 51 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
3. बीरबल आयु 49 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
4. बलराम आयु 46 वर्ष, पुत्र छीतरलाल, जाति धोबी, निवासी आटोन
   तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
5. लक्ष्मीबाई आयु 58 वर्ष, पुत्री छीतरलाल, पत्नी श्री जगन्नाथ, जाति धोबी, निवासी आटोन, तहसील अटरू हाल निवासी मुण्डेरी, तहसील झालावाड, जिला झालावाड

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2023 / 03**
मु.द.नं0 **130 / 2015**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **27.01.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 08** सन् **2024**

श्री **चन्द्र प्रकाश मीना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **संजय नागर** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 6 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2021 निरस्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **04 माह 09 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

4-9-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)